प्रेस नोट　　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　　दिनांक 20.11.2024

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 13.11.2024 को थाना खोड़ा पर वादी श्री आसिफ पुत्र श्री नन्हे मलिक निवासी आरसी 1283, शंकर विहार रब्बानी मस्जिद, खोड़ा कालोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मेरे पड़ोसी जाकिर से नाली के ऊपर मोटर साइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद था दिनांक 13.11.2024 को जाकिर और उसके लड़के फरीद, शाकिर, वाजिद व अपने कुछ अन्य रिस्तेदारों के साथ मिलकर रब्बानी मस्जिद के पास तिराहे पर वादी के पिता नन्हे मलिक व वादी के भाई सलमान को घेरकर चाकू से बार कर दिया व जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। वादी के घायल पिता व भाई को ईलाज हेतु लाल बहादुर अस्पताल दिल्ली ले गये, जहाँ पर डॉक्टरों ने वादी के पिता को मृत घोषित कर दिया और भाई का ईलाज चल रहा है।

तत्काल थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वाँछित अभियुक्त वाजिद पुत्र जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कालोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को इतवार पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। पूर्व में ही दिनांक 14.11.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. जाकिर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कालोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र-करीब 58 वर्ष, 2. शाकिर पुत्र जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा ट्रांस हिण्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है। गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त जाकिर व शाकिर उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि रोज नन्हे व उसके पुत्र से नाली साफ करने को लेकर व मोटर साइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद रहता था दिनांक 13.11.2024 को नन्हे व उसके पुत्रो ने मिलकर हम लोगों से बहुत बत्तमीजी की और हमने अपनी बत्तमीजी का बदला लेने के लये अपने कुछ रिस्तेदारों के साथ रब्बानी मस्जिद पर नन्हे मलिक व सलमान पर चाकू से वार कर दिया और वहा से भाग गया। आज मै कही दूसरी जगह भागने की फिराक में था। तभी इतवार पुस्ता के पास से पुलिस वालो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

वाजिद पुत्र जाकिर निवासी रब्बानी मस्जिद के पास शंकर विहार खोडा कालोनी थाना खोडा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा एक कार महिन्द्रा बोलेरो में परिवहन कर ले जायी जा रही 30 पेटी (कुल 720 बोतल) अंग्रेजी बीयर नाजायज (कीमत करीब डेढ़ लाख रूपये) सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 19.11.2024 की रात्रि में थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गाजियाबाद की तरफ से बागपत की ओर KMP हाइवे पर चढ़ने वाले टोल पर एक कार महिन्द्रा बोलेरो से ले जायी जा रही 30 पेटी (कुल 720 बोतल) अंग्रेजी बीयर नाजायज Hoegaarden मार्का फॉर सेल इन यूपी सहित 02 अभियुक्त 1. सचिन जैसवाल पुत्र गया प्रसाद जैसवाल हाल निवासी सेक्टर 31 वुड एन्कलेव थाना सेक्टर 20 जनपद गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम मिल्कीपुर थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या उम्र करीब 32 वर्ष 2. जितेन्द्र पुत्र राम मनोरथ हाल निवासी सेक्टर 31 वुड एन्कलेव थाना सेक्टर 20 जनपद गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग जनपद गौतमबुद्धनगर से बीयर Hoegaarden मार्का फॉर सेल इन यूपी की 30 पेटी (कुल 720 बोतल) गाडी में लादकर शादी समारोह में चोरी छुपे बेचने के लिए ले जा रहे थे, बीयर को बेचकर जो पैसा मिलता उससे हम अपने शौक पूरा करते कि आपने हमें चेकिंग कर पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. सचिन जैसवाल पुत्र गया प्रसाद जैसवाल हाल निवासी सेक्टर 31 वुड एन्कलेव थाना सेक्टर 20 जनपद गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम मिल्कीपुर थाना इनायत नगर जनपद अयोध्या, उम्र करीब 32 वर्ष

2. जितेन्द्र पुत्र राम मनोरथ हाल निवासी सेक्टर 31 वुड एन्कलेव थाना सेक्टर 20 जनपद गौतमबुद्धनगर मूल निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना दरियाबाद जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

30 पेटी अग्रेजी बीयर Hoegaarden मार्का फॉर सेल इन यूपी

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मसूरी पर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना मसूरी पुलिस टीम।